न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/123

फौलाद उर्फ प्रहलाद आत्मज कल्याण जाति बागरिया निवासी ग्राम हणवन्तपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर बून्दी राजस्थान ।
2. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 12.08.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2021 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एंव 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि कस्बा नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 1026 रकबा 02 बीघा, खसरा संख्या 1197 रकबा 03 बीघा, खसरा नम्बर 1034 रकबा 01 बीघा कुल किता 03 रकबा 06 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि को वादी के पिता कल्याण ने आज से लगभग 30–40 वर्ष पहले नोतोड से फाडकर आबाद किया था और उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाया था तब से ही वादी के पिता उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । उक्त भूमि पर वादी एवं उनके पिता का पिछले 30–40 वर्षो से

कब्जा चला आने से वादी उक्त भूमि का कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बन चुका है और खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त की आराजी में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।
4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 11.12.2015 के द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज करते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2015 को बहाल रखा ।

5. न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 05.03.2020 के द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 एवं न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2015 को निरस्त करते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया ।

6. माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2020 की पालना में परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2021 के द्वारा खारिज कर दी ।

7. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 13.07.2021 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के कब्जे में एक लम्बे समय से लगभग 50 वर्ष पूर्व से चली आ रही है । अपीलान्ट ने कुछ हिस्से पर बाडा भी बना रखा है, ट्यूबवेल भी लगा रखा है तथा रहने के लिए मकान भी बना रखा है एवं बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है । परीक्षण न्यायालय ने निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.06.2015 के द्वारा खारिज कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 से व्यथित

होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 11.12.2015 के द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज करते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2015 को बहाल रखा । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 05.03.2020 के द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2015 को निरस्त करते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया । परीक्षण न्यायालय ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्देशों की पालना किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण है । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक उक्त भूमि पर अपीलान्ट को एवं उनके पिता का पिछले लगभग 50 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है और वह कब्जा मुखालफाना के आधार पर उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायक भूमि है जिस पर अपीलान्ट ने अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा कर रखा है जिससे उसे किसी प्रकार के कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । उक्त भूमि से अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 13.07.2021 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.06.2015 के द्वारा खारिज कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 11.12.2015 के द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज करते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2015 को बहाल रखा । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 05.03.2020 के द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2015 को निरस्त करते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया । परीक्षण न्यायालय ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया । परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर दिनांक 03.12.2020 को 02 तनकी कायम की थी परन्तु निर्णय बिना तनकीवार पारित कर दिया ।

12. हमने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2020 का अवलोकन किया । उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि "वादी से प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी स्वीकार कर प्रार्थना अनुसार संशोधित वादपत्र लिया जकर उस पर राज्य सरकार को संशोधित जवाब का अवसर देकर जवाबदेही अनुसार तनकीयात की विरचना कर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का विधिअनुसार पुनः निस्तारण करें ।" परीक्षण न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय की पालना में 02 तनकी दिनांक 03.12.2020 को कायम की थी परन्तु अपना निर्णय बिना तनकीवार पारित किया है जो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्देशों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । परीक्षण न्यायालय को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णयों एवं निर्देशों की पालना का पूर्ण प्रयास करना चाहिए । हालांकि हम प्रस्तुत निर्णय की मेरिट पर विवेचना नहीं कर रहे हैं, अपितु माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशों की पालना के प्रकाश में इस निर्णय को प्रतिप्रेषित कर रहे हैं । हम प्रस्तुत प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्देशों की पूर्णरूप से पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2021 की पूर्णरूप से पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 19.09.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 12.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा